

बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

दैनिक भास्कर

कतरन संख्या

तिथि 201

समाचार-पत्र का नाम

प्रकाशन तिथि

10 SEP 2020

मंत्री/अपर मुख्य सचिव/आयुक्त

विभ

के अवलोकनार्थ

सहायक निदेशक (प्रस)

नक्सल प्रभावित बूथों को किया जा रहा है चिह्नित

सभी एसडीओ को भौतिक सत्यापन का निर्देश

सिटी रिपोर्टर | पटना

बूथों पर 13 को लगेगा कैप

जिले में नक्सल मतदान केंद्र चिह्नित करने का कार्य शुरू हो गया है। डीएम कुमार रवि ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी निर्वाची पदाधिकारी, सभी सेक्टर पदाधिकारी को मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन नक्सल मतदान केंद्र, क्रिटिकल मतदान केंद्र चिह्नित करने का निर्देश दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मसौढ़ी और पालीगंज इलाके के मतदान केंद्र को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था। यहां मतदान का समय सामान्य से दो घंटे कम था। इस बार भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह क्रिटिकल मतदान केंद्र में दियारा और टाल क्षेत्र का मतदान केंद्र शामिल था। सभी मतदान केंद्र के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी प्रतिवेदन देंगे। इस प्रतिवेदन के आधार पर डीएम के द्वारा चुनाव चुनाव आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद सामान्य मतदान केंद्र से किस-किस इलाके में मतदान केंद्र पर वोटिंग का समय कम करने पर चुनाव आयोग

पटना | मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 13 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैप लगाया जाएगा। यहां नाम जोड़ने के साथ पुराने मतदाताओं के नाम, उम्र, आवासीय पता आदि में संशोधन के लिए भी आवेदन लिया जाएगा। डीएम कुमार रवि ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ को उपस्थित रहने और दावा-आपत्ति का आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

द्वारा निर्णय लिया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को पोस्टल बैलट की सुविधा मिलेगी। इनकी संख्या 70383 है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मतदाता को सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित होने पर पोस्टल बैलट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। डीएम ने सभी सेक्टर पदाधिकारी को 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं और कोविड ग्रसित मतदाताओं को सूची बनाने का निर्देश दिया है।

5/10/19

(एच० आर० श्रीनिवास)

Handwritten signature and date 10/9/20

Handwritten signature and date 10/9/20